09/1:35pm

संख्याः–1116/XIV–1/2017–5(42)/2010

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 1, सितम्बर, 2017

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या–3583/नियो0/प्रशिक्षण/2017–18 दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं पत्र संख्या –3902/नियो0/प्रशिक्षण/2017–18 दिनांक 17 अगस्त, 2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में प्राविधानित **₹6,00,000/-(₹छःलाख मात्र)** की धनराशि निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में ठीक पूर्व माह की सूचना बी0एम0–5 प्रपत्र पर आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागाध्यक्ष को तथा बी0एम0–13 प्रपत्र पर उक्त सूचना 10 तारीख तक वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5. उक्त स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो निबन्धक द्वारा उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाए।

6. वचनबद्ध तथा अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से निम्नानुसार फॉट कर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

क्रमशः

2– उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्त वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–18 के लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–003–प्रशिक्षण–06–सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान–00–मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्याः– 1116(1)/XIV–1/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त–1/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0एस0 बोरा)
उप सचिव।